



Neutral Citation No. - 2026:AHC:178256

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अन्तर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 48855 सन् 2025

कपिल एवं अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : विजय कुमार, विवेक अन्नय शर्मा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए., प्रवीश कुमार, विमल कान्त

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार की ओर से ब्रीफ होल्ड करते हुए अधिवक्ता श्री अंकित नेहरा, विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का भी परिशीलन किया गया।

2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत यह आवेदन आरोप-पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2024, संज्ञान/समन आदेश दिनांक 21 दिसंबर, 2024 तथा आपराधिक वाद संख्या 1577 वर्ष 2022 (राज्य बनाम कपिल एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही को, मुकदमा अपराध संख्या 230 वर्ष 2022, धारा 352, 504, 324, 325, 308 भा.दं.सं., थाना-गुलावठी, जनपद-बुलंदशहर से उद्भूत, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते के आधार पर निरस्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. वर्तमान आपराधिक आवेदन पर विचार करते समय, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 6 जनवरी, 2026 को आदेश पारित करते हुए आवेदकगण को पक्षकारों के मध्य हुए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समझौते को उसके सत्यापन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया तथा विचारण न्यायालय को उक्त समझौते का सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में, विचारण न्यायालय ने दिनांक 12 जनवरी, 2026 के आदेश द्वारा पक्षकारों के मध्य हुए समझौते का सत्यापन किया है, जिसकी एक प्रति आज न्यायालय में दाखिल किए गए अनुपूरक शपथपत्र के साथ अभिलेख पर लाई गई है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।

5. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि पक्षकारों के मध्य समझौता हो चुका है तथा उक्त समझौते का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सत्यापन भी कर दिया गया है, अतः उपर्युक्त आपराधिक मामले की संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जाए।

6. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता को उपर्युक्त मामले की कार्यवाही निरस्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों से अनभिज्ञ नहीं है:-

(i). बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य; (2003) 4 एस.सी.सी. 675,

(ii). निखिल मर्चेंट बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो; (2008) 9 एस.सी.सी. 677,

(iii). मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य; (2008) 16 एस.सी.सी. 1,

(iv). ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य; (2012); 10 एस.सी.सी. 303,

(v). नरिंद्रा सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य; (2014) 6 एस.सी.सी. 466,

(vi). डिम्पी गुजराल, पत्नी विवेक गुजराल एवं अन्य बनाम यूनियन टेरिटरी जरिए प्रशासक चंडीगढ़ एवं अन्य; (2013) 11 एस.सी.सी. 497,

(vii). एच.एन. पंडाकुमार बनाम कर्नाटक राज्य; 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 38, तथा

(viii). नौशे अली एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; (2025) 4 एस.सी.सी. 78.

8. उपर्युक्त निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया है कि कुछ संज्ञेय एवं गैर-शमनीय अपराधों के संबंध में भी पक्षकारों के मध्य समझौता किया जा सकता है। इस न्यायालय द्वारा शैफुल्लाह एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; 2013 (83)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ए.सी.सी. 278 में दिए गए निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उपर्युक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को विस्तारपूर्वक समझाया गया है।

9. उपर्युक्त उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायालय की सुविचारित राय है कि उपर्युक्त आपराधिक मामले की कार्यवाही को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि पक्षकारों ने पहले ही अपने विवाद का निपटारा कर लिया है।

10. तदनुसार, आपराधिक वाद संख्या 1577 वर्ष 2022 (राज्य बनाम कपिल एवं अन्य) की संपूर्ण कार्यवाही, जो मुकदमा अपराध संख्या 230 वर्ष 2022, धारा 352, 504, 324, 325, 308 भा.दं.सं., थाना-गुलावठी, जनपद-बुलंदशहर से उद्भूत है तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, बुलंदशहर के न्यायालय में लंबित है, एतद्वारा रद्द की जाती है।

11. वर्तमान अपील तदनुसार स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

24 अगस्त, 2026

सुशील/-